



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072026-274272  
CG-DL-E-08072026-274272

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3528]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2026/आषाढ 17, 1948

No. 3528]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2026/ASHADHA 17, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2026

**का.आ. 3690 (अ).**— तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 20) की धारा 37 के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्वारा गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी (जीआईएफटी), गांधीनगर, गुजरात स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थापित किसी इकाई द्वारा चार्टर पर लिए गए विदेशी जलयानों को उक्त अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट प्रदान करती है।

स्पष्टीकरण.- इस आदेश के प्रयोजनों के लिए, "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र" से वही अभिप्रेत होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (छ) में उसे निर्दिष्ट किया गया है।

[फा. सं. SR-20020/2/2020-ML]

मुकेश मंगल, अपर सचिव

**MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS****ORDER**

New Delhi, the 7th July, 2026

**S.O. 3690(E).**— In pursuance of section 37 of the Coastal Shipping Act, 2025 (20 of 2025), the Central Government hereby exempts foreign vessels chartered by a unit set up in the International Financial Services Centre at the Gujarat International Finance Tec-City (GIFT), Gandhinagar, Gujarat from the requirement of a license under section 11 of the said Act.

*Explanation.*- For the purposes of this order, the expression “International Financial Services Centre” shall have the meaning assigned to it in clause (g) of sub-section (1) of section 3 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019).

[F. No. SR-20020/2/2020-ML]

MUKESH MANGAL, Addl. Secy.